

उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)  
(विभाग 28)

अजमेर अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

सचिव श्री सविन भंडारवाल भीला नि. चान्दाडण्ड

बनाम

प्रभुलाल पिता भवण भीला नि. चान्दाडण्ड वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० घन 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 643/2023

| तारीख दुरुम | दुरुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संख्या व तारीख<br>अवकाश जो दुरुम की<br>तारीख में जारी हुई |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 21.6.23     | <p>प्रार्थना पत्र शिमे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिमे अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चान्दाडण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2055, 2059 कुल किता 02 एकबा 1.0279 हैक्टयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम चान्दाडण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2055, 2059 कुल किता 02 एकबा 1.0279 हैक्टयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |                                                           |

De  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

2023 / 643 / 2023

दिनांक :- 21.6.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 643 / 23 अनवान सन्तरा देवी पत्नि भंवरलाल मीणा नि. चान्दाढण्ड बनाम प्रभुलाल पिता श्रवण मीणा, प्रधान पिता गोपाल मीणा, इन्द्रा पत्नि पप्पू मीणा, भंवरलाल पिता गेन्दीलाल मीणा, फुलसिंह पिता मोहनलाल मीणा, सोराम पिता गेन्दीराम मीणा, रमेश पिता मोहन मीणा, अंकुर पिता सोजी मीणा नि. चान्दाढण्ड वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम चान्दाढण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 2055, 2059 कुल किता 02 रकबा 1.0279 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)